

स मा ह र ण ल य, कि श न गं ज

( जिला प्रोग्राम कार्यालय )

-: आदेश :-

निदेशक,आई.सी.डी.एस.बिहार,पटना के पत्रांक 3124 दिनांक 28.06.2013 के आलोक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 20/1/2004-PRP&P दिनांक 06.02.13 की कंडिका 11 एवं 12 में दिये गये निर्देश के आधार पर जिला अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के निवारण के लिए नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है। अपने-अपने क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं पर हो रहे अत्याचार संबंधी प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ जिला पदाधिकारी,किशनगंज को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

द०

जिला पदाधिकारी

किशनगंज

ज्ञापांक 1205 / जि.प्रो.किशनगंज, दिनांक 26/8/13

प्रतिलिपि :- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- IT Manager, NIC किशनगंज को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी,उपसमाहर्ता,जिला गोपनीय प्रशाखा,किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक,आई.सी.डी.एस. बिहार,पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी

किशनगंज